

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी :

मुकेश बारैट {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :

95/2017

1. सतिन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डक्यू तहसील श्रीकरणपुर।
2. सिमरत कौर पुत्री सतिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डक्यू तहसील श्रीकरणपुर।

--वादीगण--



बनाम

राज सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

--प्रतिवादी--

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर टी ए

--निर्णय--

दिनांक : 07.11.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 डक्यू की जमावदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 48 के मु0न0 7 की 2.998 हैक्टर, मु0 न0 8 की 3.163 हैक्टर, मु0 न0 30 की 1.240 है0, मु0 न0 31 की 2.340 है0, मु0 न0 48 की 0.101 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 9.842 हैक्टर नहरी रकवा वादीगण संख्या 1 सतिन्द्र सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। वादीगण का उक्त रकवा के संबंध में घरेलू वंटवारा हो चुका है। घरेलू वंटवारा में चक 7 डक्यू के खाता संख्या 48 की 9.842 है0 नहरी रकवा में से वादीगण संख्या 1 सतिन्द्र सिंह अपना 3.517 है0 नहरी रकवा वादीगण संख्या 2 को देगा। इसी प्रकार चक 7 डक्यू के खाता संख्या 48 के मु0 न0 7, 8, 30, 31, 48 की कुल 9.842 है0 नहरी रकवा मय गैरमुमकिन रकवा में से वादीगण संख्या 2 सिमरत कौर अपने नाम 3.517 है0 नहरी रकवा तथा वादीगण संख्या 1 अपने नाम 6.325 है0 नहरी रकवा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। घरू वंटवारा मुताबिक वादीगण अपने अपने हिस्सा पर काविज काशत चले आ रहे है। वादीगण उक्त भूमि को घरेलू वंटवारे में प्राप्त रकवा को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। दावा दायर से दो दिन पूर्व वादीगण प्रतिवादी से मिले और घरेलू वंटवारे के मुताबिक रकवा वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने साफ इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार से डिकरी किया जावे- चक 7 डक्यू के खाता संख्या 48 के मु0 न0 7, 8, 30, 31, 48 की कुल 9.842 है0 नहरी रकवा मय गैरमुमकिन खाला में से वादी संख्या 2 सिमरत कौर को 3.517 है0 नहरी रकवा तथा वादी संख्या 1 सतिन्द्र सिंह को 6.325 है0 नहरी रकवा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे एवं अन्य कोई अनुतोप हो तो वादीगण को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया। जवाब स्टेट के अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 1 लाईल्मी होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 2 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है। मद संख्या 3 लाईल्मी होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 4, 5 अस्वीकार है। वादीगण कर्मा भी प्रतिवादीगण से नहीं मिले। मद संख्या 6 कानूनी है, इसलिए स्वीकार है।

वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि जवाब स्टेट पेश हो चुका है। वादीगण घरेलू वंटवारा अनुसार वादपत्र डिगरी करवाने में सहमत है। प्रकरण में किसी का कोई एतराज नहीं है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो घरेलू वंटवारा अनुसार विवादित भूमि पर काविज काशत है। इसलिए प्रकरण में वादविन्दु कायमी एवं साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र अनुसार डिगरी जारी की जावे। वकील वादीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण अपने नाम दर्ज भूमि को घरेलू वंटवारा अनुसार दर्ज करवाना चाहते है। किसी का कोई एतराज नहीं है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सवूत एवं पैरोकार राज के द्वारा पेश जवाब स्टेट के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 डक्यू की जमावदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 48 के मु0 न0 7, 8, 30, 31, 48 की कुल 9.842 है0 नहरी रकवा मय गैरमुमकिन खाला में से वादीगण संख्या 2 सिमरत कौर पुत्री सतिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डक्यू

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

को 3.517 है0 नहरी रकवा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे तथा इस खाता का शेप रकवा वार्दागण संख्या 1 सतिन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे। रहन फक होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी इसी आशय का जारी हो। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में कोई राजस्व हानि होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेंगे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



VR
सपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मुकेश वरिष्ठ आर.ए.एस.
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अन्तिम डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मुकेश बारैठ, आर.ए.एस.

सतिन्द्र सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
दावा 53,88 आर.टी.ए मुकदमा नं0 95/2017

निर्णय दिनांक :- 07-11-2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री वाई. एस. सैनी, रामदास सोलंकी एवं प्रतिवादी पैरोकार राज पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 डब्ल्यू की जमावंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 48 के मु0 न0 7, 8, 30, 31, 48 की कुल 9.842 है0 नहरी रकवा मय गैरमुमकिन खाला मे मे वादीगण संख्या 2 सिमरत कौर पुत्री सतिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू को 3.517 है0 नहरी रकवा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे तथा इस खाता का शेष रकवा वादीगण संख्या 1 सतिन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे।

रहन फक होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में कोई राजस्व हानि होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेंगे।

आज दिनांक 07-11-2017 को यह पर्चा डिक्की मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	0	--
योग	04	00	योग	04	00

मुहर

क्रमांक :- राजस्व/17/820

प्रतिलिपि : तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक :- 07-11-2017

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर